VERDICTUM.IN

AFR

2026:AHC:90275

Reserved :- April 07, 2026
Delivered : April 23, 2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - B No. - 6873 of 1979

Sarju and others

.....Petitioner(s)

Versus

D.D.C. and others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Anil Kumar Singh, Jagdish Singh, Sushma Devi
Counsel for Respondent(s)	:	Manish Kumar Srivastava, S.C.

Along with :

1. Writ - B No. 5560 of 1979:
Hori
Versus
D.D.C. Varanasi and others

2. Writ - B No. 4008 of 1979:
Sankatha and others
Versus
D.D.C. and others

Court No. - 32

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Petitioners in all writ petitions have purchased lands through various sale deeds executed by different family

VERDICTUM.IN

members of pedigree of one Brij Mohan of different Gata of Khata Nos. 43, 43(Kha), 44(Ga), 62, 68, 60, 63 and 58 of village Sindhora, Pargana Kolasla, District Varanasi (hereinafter referred as 'disputed plots').

2. For proper understanding, undisputed pedigree of said Brij Mohan is quoted below :-

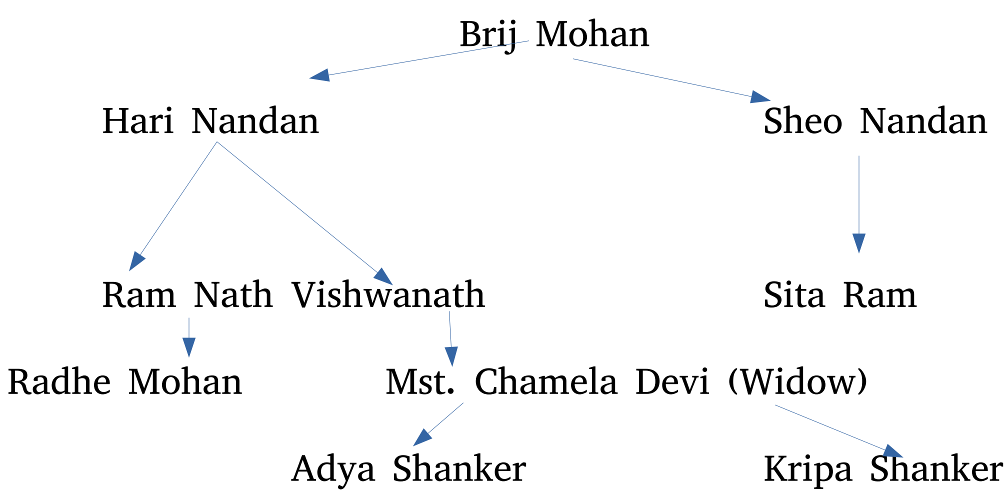

3. Adya Shanker, Kripa Shanker and Radhe Mohan have filed objections u/s 9A(2) of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (UPCH Act) and claimed shares in disputed plots on basis of an allegation that it was an ancestral property in the hands of their father Ram Nath and his brother namely Vishwanath and they were entitled to their share as they born before date of vesting and sale deed executed in favour of vendees so far as father of Radhe Mohan was concerned (i.e. Ram Nath) as well as sale deed executed by mother of Adya Shankar and Kripa Shankar was concerned and that their right as minor ought to have been retested in regard to their respective share, was illegal and they claimed their respective share on disputed plots.

4. All vendees i.e. petitioners have contested objections that disputed plots were not an ancestral land. It was their

VERDICTUM.IN

personal acquisition and all sale deeds were valid and legal. Objectors have no share in disputed plots.

5. The Consolidation Officer considered respective objections and framed as many as **23** issues in relation to different K*hatas* and after considering statement of witnesses, held that widow Chamela Devi had no right to sale shares of Adya Shanker and Kripa Shanker being her minor sons at relevant time as well as that land sold by Ram Nath and Vishwanath have also included shares of Sheo Nandan and accordingly they have sold land in excess of their respective shares, therefore, accordingly distributed shares to all parties. For reference, relevant part of the order dated **12.12.1976** is quoted below :-

> "उपरोक्त तथ्यों एवं कागजात को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम नाथ व विश्वनाथ ने गाटा संख्या ३१२/0–७९१। २८०।०९०। ६४०। ०–५५, ६४४।१–३५ की बेहक संकठा, रामनाथ कामता राम कुवंर शइव कुमार, चि० रंजीत को किया है। और गाटा सं० ६८८।–५२, ६५०।–१९ का बयनामा राधे मोहन व मु० चमला में बहक कामता, राम कुवर शइव कुमार चि रंजीत किया है।
>
> गाटा नं० ७७६।–३१, ७७७।–२ का बयनामा राधे मोहन व चमेला देवी ने बहक रामा सिंह दिनांक १५–६–७५ को किया है। गाटा संख्या ९३२। १।–२९ का बयनामा राम नाथ व विश्वनाथ ने बहक हारी किया है।
>
> गाटा नं० ९४९।–५८ का बयनामा रामनाथ व विश्वनाथ ने बहक विपत्ति किया है।
>
> गाटा नं० १०४१।–९५ का बयनामा राधे मोहन व चमेला देवी बहक हुबराज किया है।
>
> गाटा नं० ०६८१ष–०४स ६८३। ०११९, ११०१।११९, ११०२।१।–३९ बयनामा राधे मोहन व मु० चमेला ने बहक सरजू सत्य नारायन बकुआ किया है।
>
> खतौनी १३०९ फ० में खाता संख्या १० में विवादित भूमि हरनन्दन व शिवनन्दन के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज है।
>
> राम नाथ व विश्वनाथ को शिवनन्दन का हिस्सा वरासत में मिला और अपना हरनन्दन का पैतृक था जो की वरासत में मिला।
>
> इस प्रकार से रामनाथ व विश्वनाथ को १/२ हिस्सा अपने बाप के मरने के बाद वरासतन मिला और आद्या हिस्सा शिवनन्दन का मिला। जो १/२ भाग हरनन्दन को मिला उसने राम नाथ व उनके लडके राधे मोहन का

VERDICTUM.IN

आधे में बराबर बराबर हुआ और जो विश्वनाथ को मिला। उसमें विश्वनाथ आद्या शंकर व कृपा शंकर का बराबर बराबर मिला।

इससे यह स्पष्ट होता है कि राम नाथ व विश्वनाथ ने जो बयनामा किया उसमे बयनामा दौरान के शिवनन्दन वाला आधा भाग तो मिल ही गया । राम नाथ के हिस्से में १/२ रामनाथ का और १/२ राधे मोहन का होता है तथा विश्वनाथ वाले हिस्से में १/२ भाग में विश्वनाथ आद्या शंकर , कृपा शंकर का बराबर–बराबर होता है ।

मु० चमेला को आद्या शंकर कृपा शंकर के हिस्से के भाग का वयनामा करने का कोई अधिकार नहीं था ।

उपरोक्त वाद विवाद एवं तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गाटा संख्या ३१२। –७६, २८०। –९० , ६४०। –५५, ६४४। १–३५ में राधे मोहन आद्या शंकर कृपा शंकर का नाम बतौर सहखातेदार के अंकित होना चाहिए और इसमें आद्या शंकर का १/१२ कृपा शंकर १/१२ और राधे मोहन का १/८ अंश होगा।

गाटा नं० ६८८। –५२, ६५०। –१९ में आद्या शंकर व कृपा शंकर का नाम भी बतौर सहखातेदार दर्ज होगा और इसमें क्रमशः आद्या शंकर १/८ और कृपा शंकर का १/८ अंश होगा।

गाटा संख्या ६२ गाटा संख्या ७७६। ०–३१ , ७७७। ०–२७ में आद्या शंकर व कृपा शंकर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज होना चाहिए तथा इसमें आद्या शंकर का १/८ और कृपा शंकर का १/८ अंश होगा। गाटा संख्या ९३२। १।–२६ में आद्या शंकर कृपा शंकर राधे मोहन का नाम बतौर सह खातेदार दर्ज होगा तथा इसमें आद्या शंकर का १/१२ कृपा शंकर का १/१२ और राधे मोहन का १/८ भाग होगा। तथा इसी प्रकार गाटा संख्या ९४९। ०५८ में भी आद्या कृपा शंकर राधे मोहन का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज होगा और इसमें आद्या शंकर का १/१२ और कृपा शंकर का १/१२ और राधे मोहन का १/८ अंश होगा।

खाता नं०६३ के गाटा नं० १०४२। –६५ में आद्याशंकर , कृपा शंकर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज होगा और इसमें आद्या शंकर का १/८ तथा कृपा शंकर का १/८ भाग होगा।

खाता नं०५८ के गाटा नं०६८९। ०–०४, ६८३। ०–१९ , ११०१। १–१९ , ११०२। १–३९ में आद्या शंकर व कृपा शंकर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज होगा और इसमें आद्या शंकर का १/८ और कृपा शंकर का १/८ भाग जो इस प्रकार से वाद बिन्दुओं का निस्तारण हो जाता है।

अतः आदेश हुआ कि खाता नं०४३।ख।, ४३८। के गाटा नं०३१२ । –७९, २८०। ०–९०, ६४०। ०–५५। ६४४। १–५५ में में संकठा आदि लिखित खातेदारान के नाम के साथ राधे मोहन पुत्र राम नाथ, आद्या शंकर पुत्र गण विश्वनाथ का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका

विभाजन इस प्रकार किया जाय ।

१– राधे मोहन १/८ भाग एक बटा आठ

२– कृपा शंकर १/१२ भाग एक बटा बारह

३– आद्या शंकर १/१२ भाग एक बटा बारह

४– संकठा १७/१२० भाग सत्रह बटा एक सौ बीस

VERDICTUM.IN

५– राम नाथ १७/१२० भाग सत्रह बटा एक सौ बीस

६– कमला १७/१२० भाग सत्रह बटा एक सौ बीस

७– राम कुवर १७/१२० भाग सत्रह बटा एक सौ बीस

८– शिव कुवर १७/१२० भाग सत्रह बटा एक सौ बीस

खाता संख्या ४३ ग गाटा सं० ६८८। ०–५२, ६५०। –१९ में कामता आदि के नाम साथ कृपा शंकर पुत्र गण विश्वनाथ का नाम भी बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका विभाजन इस प्रकार किया जाय–

१– आद्या शंकर १/८ भाग एक बटा आठ

२– कृपा शंकर १/८ भाग एक बटा आठ

३– कामता १/४ भाग एक बटा चार

४– राम कुवर १/४ भाग एक बटा चार

५– शिव कुमार १/४ भाग एक बटा चार ।

खाता संख्या ६२ के गाटा संख्या ७७६।०–३१, ७७७।०–२७ में आद्या शंकर, कृपा शंकर पि० विश्वनाथ का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका विभाजन इस प्रकार किया जाय ।

१– आद्या शंकर १/८ भाग एक बटा आठ ।

२– कृपा शंकर १/८ एक बटा आठ ।

३– रामा आदि ३/४ भाग तीन बटा चार ।

खाता संख्या ६८ के गाटा नं० ९३२। १–२९ में आद्या शंकर कृपा शंकर पि० विश्वनाथ व राधे मोहन पुत्र राम लाल का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका विभाजन इस प्रकार हो ।

१– आद्या शंकर १/१२ भाग एक बटा बारह ।

२– कृपा शंकर १/१२ भाग एक बटा बारह ।

३– राधे मोहन १/८ एक बटा आठ ।

४– होरा १७/२४ भाग सत्रह बटा चौबीस ।

खाता संख्या ६० के गाटा नं० ९४०। –५८ में आद्या शंकर , कृपा शंकर पुत्र गण विश्वनाथ व राधे मोहन व राम नाथ का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका विभाजन इस प्रकार हो ।

१– आद्या शंकर १/१२ भाग एक बटा बारह ।

२– कृपा शंकर १/१२ भाग एक बटा बारह

३– राधे मोहन । १/८ एक बटा आठ

४– जोपत १७/२४ भाग सत्रह बटा चौबीस

खाता संख्या ६३ के गाटा नं० १०४१। ९५ में आद्या शंकर कृपा शंकर पुत्र गण विश्वनाथ का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका विभाजन इस प्रकार हो ।

VERDICTUM.IN

१– आद्या शंकर १/८ भाग एक बटा आठ ।

२– कृपा शंकर १/८ भाग एक बटा आठ ।

३– रघुनाथ पु० साधो उर्फ शिव नाथ पुत्र राज पुत्र विश्वनाथ पुत्र गण राम प्रसाद २/४ भाग ।

खाता ५८ के गाटा नं० ६८१।०–४०, ६८३।०–१९ ११०१। १–१९ ११०२। १–३९ में आद्या शंकर कृपा शंकर पुत्र गण विश्वनाथ का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय तथा इसका विभाजन इस प्रकार हो ।

१– आद्या शंकर १/८ भाग एक बटा आठ

२– कृपा शंकर १/८ भाग एक बटा आठ ।

३– सरजू १/४ भाग एक बटा चार

४– सत्य नारायन १/४ भाग एक बटा चार ।

५– बबुआ १/४ भाग एक बटा चार ।

शेष आपत्तियां सूर्यबली आदि व गणेश आदि खारिज की जाती है फरीकेन सूचित हों। अमल दरामद मिसिल दफ्तर हो यहाँ आदेश वाद संख्या २६ लगायत ४७ पर भी लागू हो ।

ह०/ राम नयन सिंह

सो ओ २२–१२–१९७६।"

6. Against aforesaid order dated **12.12.1976**, six Appeals were filed by different vendees and one by Adya Shanker also. The Settlement Officer of Consolidation had allowed Appeal Nos. **3990** (Sankatha vs. Lallua), **3989** (Raghunath vs. Adya), **3999** (Raka vs. Adya), **3998** (Vipat vs. Adya), **3997** (Hori vs. Adya), however, Appeal No. **4083** (Adya vs. Sankatha) was rejected and accordingly, shares were re-distributed. For reference, relevant part of order of S.O.C. is quoted below :-

"दोनो पक्षो के विद्वान अभिवक्ता के तर्को के सुनने के बाद निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि बैनामा राम नाथ विश्वनाथ ने १९५५–५६ में किया है, बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज होकर अपीलकर्ता का नाम अंकित हो चुका हा। राम नाथ विश्वनाथ, राधे मोहन, आद्या शंकर कृपा शंकर के पिता थे और उन्होने १९५५–५६ में ही बैनामा कर दिया बैनामें के आधार पर बदार कब्जे में है। रामनाथ, विश्वनाथ भूमिधर हो जाने के बाद बैनामे करने के हकदार हो जाते है। यू०पी० जमीदारी विनाश अधिनियम के लागू हो जाने के बाद हिन्दू कानून इस भूमि मे लागू नहीं करेगा। क्योकि वह एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था राम नाथ विश्वनाथ को बैनामा किया । उनके वारिसान का कोई अंश नहीं होता । क्योंकि १६५५ से बादी का बेदार काबिज है और उसका नाम खाते में दर्ज हो चुका है।

VERDICTUM.IN

इस प्रकार एडवर्स पजेशन में होने की वजह से वादी का हक पूर्ण हो जाता है।

जहाँ तक तीन खातों में खाता संख्या ४३घ, ६२, ६३ के बैनामे का प्रश्न है। उस समय राधे मोहन बालिग होकर बैनामा किया है। और आद्या , कृपा शंकर की तरफ से मु० चमेली ने बैनामा लिखा है और यह बैनामा चमेली नाबालिग की संरक्षिका थी क्योंकि वह उसकी माता भी थी आद्या ने अपने बयान में अपने खानदान का सज़रा दिया है। और कहा कि आराजी निजाई उनकी मौरूसी जायदाद है। उनका अंश विवादित खातों में बताया है। जिरह में गवाह ने बताया कि जब पिता मरे तब दोनों भाई छोटे थे। खाने खर्चे की व्यवस्था माँ करती थी उसके बडी बहन की शादी माँ के संरक्षण में हुयी उसकी माँ के पास खेती बारी के अलावा और कोई कारोबार नहीं है। यह भी कहा कि माँ से धोखे से फर्जी बैनामा करा लिया है। जिसको दावा किया गया था । नाबालिगी में हम लोगों का सारा कारोबार उसकी माँ करती थी। जो इन्तजाम उसकी माँ करती थी हम लोगों के हित में करती थी इस प्रकार आद्या के बयान से स्पष्ट है कि बैनामा मु० चमेली ने बतौर संरक्षिका किया है । उसने बैनामा नाबालिगों के फायदे के लिये किया गया आद्या के पिता के मरने के बाद नाबालिगों को देख भाल का भार चमेली के ऊपर था और उन्होंने गवाहों से रुपया लेकर जमीन बेच दिया । इसलिये बैनामा नाबालिगों के फायदे के लिये किया गया । आद्या के बयानों से यह बात भी स्पष्ट है कि उनकी नाबालिगों में उनकी माँ ही संरक्षिका थी। इससे यह सावित हो जाता है कि राधे मोहन ने बालिग होने पर बैनामा किया है तथा नाबालिगों की तरफ से मु० चमेली ने सही बैनामा किया है आद्या की पैदाइश दिनांक १५-१-४४ में लिखी गयी है और कृपा शंकर १९४७ में लिखा गया है। आद्या १९६२ में बालिग हो गये और कृपा शंकर १९६५ में बालिग हुये। बालिग होने के तीन साल के अन्दर ही उन्हें बैनामा खारिज करने का मुकदमा करना चाहिए था किन्तु उन्होंने समय के अन्दर बैनामा खारिज करने का दावा नहीं किया। इसलिये उनके जो भी अधिकार थे वह समाप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में आर० डी० १९७२ पेज ४५१ का हवाला दिया गया कि अगर आक्यूपेन्सी टेनेन्सी का बैनामा हुआ है और दो वर्ष के अन्दर कोई मुकदमा बालिग होने पर नहीं किया गया है तो बैनामा लेने वाले का अधिकार पूर्ण हो जाता है । ए आई आर १९५१ सुप्रिम कोर्ट पेज ४७० पर दी गयी नजीर का उल्लेख किया गया । जिसमें यह कहा गया है कि एडवर्स पजेशन सेल डीड इनवैलीड होने पर अधिकार पूर्ण हो जाता है कि और इस सम्बन्ध में बार काउंसिल १९७२ पेज ३१८ की रूलिंग का भी हवाला दिया गया जिसमें कहा गया है कि एडवर्स पजेशन से सेल डीड इनवैलिड होने पर अधिकार पूर्ण हो जाता है और इस सम्बन्ध में बार काउंसिल १९७२ पेज ३१८ की रूलिंग का भी हवाला दिया गया । जिसमें कहा गया है कि बैनामा लेने वाले का कब्जा बैनामा करने वाले के विरुद्ध एडवर्स माना जायेगा और वह दस्तावेज डिनाई करते है । इस तरह से इन दस्तावेज बैनामा के कागजात को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू ला नेशन जमींदारी विनाश अधिनियम के बाद लागू नहीं होगा। राम नाथ विश्वनाथ बैनामा लिखने के समय भूमिधर अंकित हो चुके है और उन्हें बैनामा लिखने के समय भूमिधर अंकित हो चुके है और उन्हें बैनामा लिखने का पूर्ण अधिकार था उनकी जायदाद में उनके लडकों का उस समय कोई अंश नहीं होता वे मरनें के बाद ही उत्तराधिकार होता है। जिस भूमि का बैनामा रामनाथ विश्वनाथ ने किया है। उसमें कोई अंश राधे मोहन कृपा शंकर आदि को नहीं मिल सकता है। दूसरा वो बैनामा जो राधे मोहन मु० चमेली ने किया है। उक्त बैनामे में राधे मोहन ने बालिग होकर किया है और आद्या कृपा शंकर की संरक्षिका चमेली देवी ने किया है। इन लोगों ने बालिग होने के तीन साल के अन्दर कोई निरस्तीकरण का दावा नहीं किया है। बैनामा चमेली ने वहैसियत संरक्षिका किया था और आद्या आदि के फायदे के लिये किया है। बैनामा सही हुआ है। और

VERDICTUM.IN

इस तरह आद्या कृपा शंकर का कोई हक नहीं मिल सकता है। क्यों कि उन्होंने समय के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं किया है। जो दावा आद्या ने सिविल कोर्ट में किया है उक्त दावा १९७० में किया गया जो मियाद बाहर है। क्योंकि दोनों भाई १९६९ में बालिग हो गये और उक्त दावा भी दिनांक १६-११-७२ को निरस्त हो चुका है। जहाँ तक अपील संख्या ४०८३ का सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राम नाथ विश्वनाथ ने मालिक होकर अपने अंश का बैनामा किया है और उनके लडकों का कोई हक नहीं था और मुसम्मात चमेली देवी ने भी बतौर संरक्षिका बैनामा कर दिया है। अपीलकर्ताओं का कोई हक विवादित भूमि में नहीं होता है। इसलिये यह अपील निरस्त होने लायक है।

तदनुसार अपील संख्या ३९९०, ३९९८, ३९९९, ३९९७ स्वीकार की जाती है और अपील संख्या ४०८३ निरस्त की जाती है। चकबन्दी अधिकारी का आदेश समाप्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि आधार वर्ष का इन्द्राज बदस्तूर रखा जाये। विभाजन निम्न प्रकार किया जाय।

गाटा संख्या २८० रकबा -९० एकड़ , ७१२ रकबा -७६ एकड़ ८४० रकबा -५५ एकड़ , ६४४ रकबा १-३५ एकड़ में संकठा राम नाथ, कामता राम कुवर शिव कुमार प्रत्येक १/५ अंश तथा गाटा संख्या ५८८ रकबा -५२ एकड़ ८५० रकबा -१९ एकड़ में कामता १/३ राम कुमार १/३ शिव कुमार १/३ विभाजित हो। गाटा संख्या ७७६, ७७७ रामा सिंह के नाम तनहा दर्ज रखा जाय। गाटा संख्या ९३२। १ होरी के नाम व पूर्ववत दर्ज रखा जाय। गाटा संख्या ९४९ विपत के नाम तनहा गाटा संख्या १०४१ रकबा -९५ एकड़ रघुनाथ , साधू , हुवराज के नाम पूर्ववत रखा जाय । गाटा संख्या ८८९ रकबा -०४ , ६८३ रकबा -१९ एकड़ ११०१ रकबा -१९ एकड़ ११०२। १ रकबा -३९ एकड़ में सरजू १/३ दर्ज किया जाय । यही आदेश अपील संख्या ३९८९ , ३९९९, ३९९८, ३९९७, ४०८३ पर भी लागू रहेगा ।”

7. Adya Shankar, being aggrieved by aforesaid order, preferred a Revision No. **910/1978** before the Deputy Director of Consolidation and said Revision was allowed by an order dated **25.05.1979**, and order passed by the Settlement Officer of Consolidation dated **14.02.1978** was set aside and shares were distributed amongst Adya Shanker and Kripa Shanker also and confirmed the distribution made by Consolidation Officer. For reference, entire order of D.D.C. passed in Revision is quoted below :-

“xxxx

इस विवाद में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वंशावृक्ष पक्षो को मान्य है । वर्ष 1309 फ० के खतौनी उद्धरण में विवादित खाते की भूमि हरिनन्दन व शिवनन्दन कलवार के नाम बराबर हिस्सा में जिम्न 5 सरमोडयन अंकित है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1309 फ० तक बृजमोहन के दोनो पुत्र हरिनन्दन व शिवनन्दन समान रूप से इन भूखण्डों पर काबिज थे । इसके

VERDICTUM.IN

बाद 1359 के खतौनी उद्धरण में रामनाथ व विश्वनाथ पुत्रगण हरिनन्दन का नाम विवादित खातो की भूमि पर संयुक्त रूप से अंकित है । वर्ष 1309 व 1359 फ० के बीच के वर्षों में किसी भी वर्ष की राजस्व प्रविष्टि से सम्बन्धित खतौनी नही प्रस्तुत की गई है । जैसा कि उपरोक्त वंशावृक्ष से यह स्पष्ट होता है कि शिवनन्दन के पुत्र सीताराम निःसंतान मर गए । अतएव शिवनन्दन के हिस्से की भूमि भी हरिनन्दन को मिली । विद्वान अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई मृत्यु रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि शिवनन्दन वर्ष 1909 में सीताराम वर्ष 1919 में तथा हरिनन्दन वर्ष 1923 में मृतक हुये । शिव नन्दन के अंश के सम्बन्ध में पक्षो के विभिन्न तर्क है । निगरानीकर्ता का कथन है कि शिवनन्दन के पुत्र सीताराम के मृतक होने पर विवादित खातों के भूमि हरनन्दन को उत्तराधिकार के रूप में मिली तथा विपक्षीगण का कथन है कि शिवनन्दन व सीताराम का अंश हरनन्दन को उनके व्यक्तिगत क्षमता में मिला और इस प्रकार निगरानीकर्ता शिवनन्दन वाले 1/2 अंश पर सरहमुवइयन की भूमि होने के कारण कोई अंश प्राप्त करने के अधिकार नही होते है । शिवनन्दन के मरने के बाद सीताराम उनके प्राकृतिक उत्तराधिकारी हुए थे और उस समय लागू उत्तराधिकार नियमों के आधार पर सीता राम की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नही हुआ अपितु हरिनन्द जो उसके चाचा थे, का नाम राजकीय अभिलेखो में अंकित हो गया। यह किन परिस्थितियों में हुआ इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है । फिर भी जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि सीताराम के 1/2 अंश को हरिनन्दन सहकृपक होने के कारण प्राप्त किये होंगे। इस प्रकार मेरा यह अभिमत है कि हरिनन्दन को विवादित खाते की सभी भूमि शिव- नन्द व उसके पुत्र सीताराम के उत्तराधिकार के रूप में नही प्राप्त हुई थी। परन्तु उसका अंश उसका स्वतः अर्जित नही माना जायेगा। और तत्कालीन आभोग कानून के अनुसार हरिनन्दन को वर्ष 1919 में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए और विवादित भूखण्डो का स्वरूप पैतृक बना रहा । इस प्रकार हरिनन्दन के बाद विश्वनाथ को विवादित सभी भूखण्डों में समान रूप से प्राप्त हुआ ।

अब प्रश्न उठता है कि क्या विश्वनाथ व राम नाथ की मृत्यु के बाद राधे मोहन व मु० चमेला देवी पत्नी विश्वनाथ की सरहमुवइया की सम्पूर्ण भूमि को निगरानीकर्ता व उसके भाई कृपाशंकर के अंशो को भी विक्रय करने का कोई अधिकार था अथवा नही ? पत्रावली पर उपलब्ध जन्मरजिस्टर के उद्धरण से स्पष्ट है कि आद्याशंकर 15-1-44 को तथा कृपाशंकर 5-1-1947 को जन्मे थे, जो निहित होने की तिथि के पूर्व की तिथियां है । निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 1966 आर०डी०, पृष्ठ 369 तथा 1967 आर०डी० पृष्ठ 191 में प्रतिपादित व्यवस्था के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि आद्याशंकर व कृपाशंकर को राम नाथ व विश्वनाथ के जीवनकाल में ही 1/6 अंश प्राप्त था इन व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रति- पादित किया है कि सरहमुवइया की भूमि में हिन्दू कानून का विचार लागू नही होता और पिता को पुत्र के अंशो को बेचने का कोई अधिकार नही है । अतएव रामनाथ व विश्वनाथ द्वारा दिनांक 19-9-56 , 27-6-55 तथा 15-6-55, 19-6-1956 को क्रमशः खाता सं० 43 ख 43 ग , 60 तथा 68 के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय पत्रों के आधार पर विपक्षी गण को केवल रामनाथ व विश्वनाथ के अंश ही अन्तरित हो सकते थे और इस अन्तरण के बाद विपक्षीगण व निगरानीकर्ता तथा उसके भाई की स्थिति सहखातेदार की हुई । अतएव विपक्षीगण, निगरानीकर्ता व उसके भाई के अंशो पर विरुद्ध कब्जे के आधार पर भी अपने अधिकार परिपक्व नही कर सकते हैं । निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने 1972 आर०डी०, पृष्ठ 1998 में प्रतिपादित व्यवस्था को अपने निष्कर्ष का आधार बनाकर कानून असंगत आदेश पारित किया है और उनके आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है इसी

VERDICTUM.IN

प्रकार मु० चमेला देवी पत्नी विश्वनाथ व राधे मोहन पुत्र राम नाथ ने दिनांक 15-4-61 व 15-6-57 को खाता सं० 43 व 62 व 63 के सम्बन्ध में निष्पादित विक्रय पत्रों के आधार पर विपक्षीगण के पक्ष में सम्पूर्ण अधिकार अन्तरित कर दिया परन्तु इन खातो में भी निगरानीकर्ता व उसके भाई का अंश था । जिस विक्रेताओं को अन्तरित करने का कोई भी अधिकार नही था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अन्तरण के वर्षों में निगरानी कर्ता व उसके भाई अवयस्क थे और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मु० चमेला देवी को उनके अंश बेचने का अधिकार नही था । इस आधार पर भी निगरानीकर्ता व उसके भाई का अंश विवादित खातो से समाप्त नही होता है ।

विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राधेमोहन व कृपाशंकर ने क्रमशः विद्वान चकबन्दी अधिकारी व विद्वान अपीलीय न्यायालय के आदेश के वि- रूद्ध कोई निगरानी नही प्रस्तुत की है । अतएव आद्याशंकर द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रागन्याय के सिद्धांत से बाधित है । इस तर्क की पुष्टि में विद्वान अधिवक्ता ने ए०आई० आर० 1966 सुप्रीमकोर्ट, पृष्ठ 1332 में प्रतिपादित व्यवस्था को अपना आधार बनाया । इस व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि किसी प्रारम्भिक न्यायालय द्वारा एक ही वाद कारण के आधार पर दो समान वाद बिन्दु का निस्तारण गुण - दोष के आधार पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध दो अपीले प्रस्तुत की गई । जिसमें से एक प्रारम्भिक आधार पर जैसे अवधि अथवा अनुपस्थिति के कारण निरस्त हो गई तो दूसरी अपील के सम्बन्ध में प्रारम्भिक न्यायालय का आदेश अन्तिम नही हुआ प्रथम अपील में पारित आदेश दूसरी अपील में प्रागन्याय का प्रभाव रखेगा । इस व्यवस्था के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस निगरानी में यह स्पष्ट रूप से लागू नही होती क्यो कि राधेमोहन ने विद्वान चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील ही नहीं प्रस्तुत की थी । अतएव विद्वान अपीलीय न्यायालय तथा इस न्यायालय में अपने स्वत्व की बाबत की । इस प्रकार मैं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ । विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया कि राम नाथ व विश्वनाथ को उनके जीवनकाल में विवादित खातों की सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरण करने का अधिकार था । क्यों कि आद्याशंकर ने अपने बयान में स्पष्ट कहा था कि उनके पिता व चाचा का विवादित खातों की भूमि में आधा आधा था। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि अंशो का प्रश्न सदैव कानून का होता है और मात्र आद्याशंकर के कथन के आधार पर उनके अंश समाप्त नहीं हो जायेंगे । प्रश्न केवल यह है कि क्या विश्वनाथ को अपने अवयस्क पुत्रों के अंश को अपने जीवनकाल में बेचने का अधिकार था अथवा नहीं । यह सुनिश्चित व्यवस्था है कि सरहमुवइयन की सम्पत्ति में पुत्रों को, यदि वह निहित होने की तिथि के पूर्व पैदा हुए हो तो, अपने पिता के साथ समान रूप से अंश हुआ । इस विवाद में निगरानीकर्ता व उसके भाई वर्ष 1944 व 1947 में पैदा होने के कारण विदित खातों में अपने पिता के साथ समान रूप से अधिकारी थे । पत्रावली पर उपलब्ध सभी विक्रय पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1961 के पूर्व प्रतिपादित किए गए थे और उस समय तक निगरानीकर्ता व उसके भाई अवयस्क थे । आर०डी० 1968 , पृष्ठ 365 में प्रतिपादित व्यवस्था के आधार पर पिता को अपने अवयस्क पुत्रों के अंश को कानूनी आवश्यकता की स्थिति में भी अन्तरित करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है और ऐसे विक्रय पत्र स्वतः अपने में अवयस्कों के अंशो के सम्बन्ध में शून्य माने जाते है और उसके आधार पर क्रेतागण को कोई अधिकार नहीं मिलता । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ व राम नाथ तथा बाद में मु० चमेली देवी व राधेमोहन को विवादित खातों में निगरानीकर्ता व उसके भाई के अंश को अन्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था और उनके अधिकार इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकते ।

VERDICTUM.IN

विपक्षीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि निगरानीकर्ता व उसके भाई ने वयस्क होने के बाद उपरोक्त विक्रय पत्रों के निरस्तीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । विक्रय पत्र सदैव वायडेबल अभिलेख होते है । जिनके निरस्तीकरण के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के अन्तर्गत उपशम का अधिकार रहता है । उन्होंने अपने इस तर्क को ए०आई० आर० 1970 सुप्रीमकोर्ट , पृष्ठ 1777 पर उल्लेखित व्यवस्था को आधार बनाया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि वयस्क होने की तिथि के बाद से 12 वर्ष तक विपक्षीगण अभिलिखित रूप से कब्जे में रहने के कारण विरुद्ध कब्जे के आधार पर अपने अधिकार परिपक्व कर चुके । इस सम्बन्ध में उन्होंने यह तक प्रस्तुत किया कि उनका कब्जा मालिक है तथा निगरानीकर्ता व उसके भाई के जानकारी में है । अतएव विरुद्ध कब्जे का आधार परिपक्व होता है । म० चमेला देवी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों का उल्लेख करते हुए विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप की धारा 8 के अन्तर्गत माता द्वारा अवयस्क पुत्रों के अंश बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के अन्तरित करने का अधिकार होता है । परन्तु इसी धारा की उपखण्ड 3 के अन्तर्गत यदि कोई अभिलेख निष्पादित कर दिया जाता है तो वह अवयस्को द्वारा की गई कार्यवाही वायडेबुल होती है । इस प्रकार मु० चमेला देवी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों को भी निगरानीकर्ता व उसके भाई ने वयस्क होने के बाद किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी । अतएव यह जावेगा कि उन्होंने निर्धारित अवधि के अन्दर इनकार न करने से अपने अधिकार समाप्त कर दिए । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता व उसके भाई में वर्ष 1970 में मुंसिफ हवाली के न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कर भूखण्ड सं० 667/1, 687/2 तथा 650 के सम्बन्ध में मु० चमेला देवी व राधेमोहन द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों को निरस्त कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया था, जो पक्षो की अनुपस्थिति में दिनांक 16-12-72 को निरस्त हो गया था और चूंकि उस समय भी यह वाद कालबाधित था । अतएव निगरानीकर्ता व उसके भाई को पुन: कोई अधिकार नही मिल सकता । पत्रावली पर उपलब्ध 1361 फ० के बाद से उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित खातों की भूमि पर विपक्षीगण कब्जे में चले आए है और निगरानी कर्ता व उसके भाई कभी सह कब्जे में नहीं रहे । ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 54 के अन्तर्गत निष्पादित यदि कोई विक्रय पत्र अनियमित एवं गैरकानूनी होता है और उस अन्तरण के आधार पर क्रेतागण कब्जे में चले आते है तो उन्हें कोई अधिकार अन्तरित नही होते अपितु उनका कब्जा विरुद्ध न माना जाता है और इसी आशय की व्यवस्था के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अन्तरणों के बाद विपक्षीगण विवादित खातों की भूमि पर विरुद्ध कब्जे के आधार पर अपना स्वत्व परिपक्व कर चुके है परन्तु मेरे विचार से यह व्यवस्था उन अनियमित अन्तरणों में लागू होती है जिनमें सम्पूर्ण अंश का अन्तरण किया गया हो । इस विवाद में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है अन्तरण अभिलेखों के निष्पादन के समय निगरानीकर्ता व उसके भाई अवयस्क थे । अतएव उनके पिता व माता को उनके अंशो को विक्रय करने का अधिकार नही था और उनके अंशो की भूमि पर विक्रय विरुद्ध कब्जा का सिद्धांत नही लागू होना जाना जावेगा । क्रेता (विपक्षीगण) निगरानीकर्ता व उसके भाई के साथ सहखातेदार हुए । अतएव विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निगरानीकर्ता व उसके भाई के स्वत्व के निर्धारण में विरुद्ध कब्जे के आधार पर अधिकार के परिपक्व होने का गलत निष्कर्ष निकाला है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में मेरा यह अभिमत है कि निगरानीकर्ता व उसके भाई, जो निहित होने की तिथि के पूर्व पैदा हुए थे और उन्हें विवादित खातो की भूमि जो ज०वि० के पूर्व सरमोडयन की थी, में उनको अपने पिता के साथ समान अंश प्राप्त था । बिना किसी कानूनी आवश्यकता के उन्हें अपने पुत्रों के अंश अन्तरित करने का अधिकार नहीं था । विद्वान

VERDICTUM.IN

अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि विश्वनाथ व मु० चमेला देवी ने अपने अवयस्क पुत्रों के लाभ के लिए अन्तरण किये क्यो कि उनकी अवयस्कता में नाबालिग पुत्रों के देखरेख का भार उन्हीं पर था । अन्तरण अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विश्वनाथ द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों में यह उल्लेख है कि उन्हें अन्तरण की तिथियों पर अपने रोजगार की वृद्धि के लिए रूपये की आवश्यकता थी । मु० चमेली देवी द्वारा निष्पादित किए गए विक्रय पत्रों में यह उल्लेख है कि अन्तरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उन्हें कोआपरेटिव सोसाइटी व अन्य महाजनो के कर्जे की आवश्यकता है । इस प्रकार अन्तरण अभिलेखो में प्रदर्शित आवश्यकताएं किसी प्रकार से निगरानीकर्ता व उसके भाई, जो उस समय अवयस्क थे, के फायदे के लिए नहीं की गई थी और इस निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में मेरा यह मत है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने में भूल की है । उपरोक्त प्रस्तरों में दिए गए निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है । विद्वान अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 14-2-76 निरस्त किया जाता है । निगरानीकर्ता व उसके भाई कृपाशंकर का अंश विवादित खातो की भूमि में वही माना जाता है जो विद्वान चकबन्दी अधिकार ने अपने आदेश दिनांक 22-12-76 में निकाला था । खातो का विभाजन निम्न प्रकार होगा :-

खाता सं० 43 ख तथा 43 घ :- कृपाशंकर 1/12, आद्याशंकर 1/12 संकठा, कामता, रामकुवर, शिवकुवर व रामनाथ पुत्रगण रंजीत 1/6 प्रत्येक।

खाता सं० 68 :- आद्याशंकर व कृपाशंकर 1/12 प्रत्येक, हीरा 5/6

खाता सं० 7 :- आद्याशंकर व कृपाशंकर 1/12 प्रत्येक व विगत्त 5/6 अंश ।

शेष खातो के सम्बन्ध में विद्वान च०अ० द्वारा लगाए गए अंश की पुष्टि की जाती है । तदनुसार अभिलेखो में संशोधित किया जाय ।

दिनांक - 25.05.1979

उप संचालक (चकबंदी)

वाराणसी”

8. Aforesaid orders are challenged by vendees-petitioners in above referred three writ petitions so far as their respective part of purchased land in disputed plots is concerned and that widow of Vishwanath could sell shares of their two sons viz. Adya Shanker and Kripa Shanker when they were minor as well as Ram Nath father of Radhe Mohan and Radhe Mohan himself has sold their respective part of land and not beyond their respective legal rights.

VERDICTUM.IN

9. Crux of argument of S/Sri Anil Kumar Singh, Jagdish Singh and Ashish Kumar Mishra, learned advocates for petitioners in Writ B Nos. 6873/1979, 5560/1979 and 4008/1979 were that widow of Vishwanath (Chamela Devi) has sold not only her shares but shares of her two minor sons also only for their welfare in order to repay loan amount, therefore, said transactions were protected. Her sons have not challenged concerned sale deeds within stipulated period when they became major as such they have relinquished their right, if any.

10. Learned advocates also submitted that revision petition was filed only on behalf of one Objector i.e. Adya Shanker, whereas Radhe Mohan and Kripa Shanker have not filed any revision petition, therefore, the D.D.C. has committed an error when he granted relief not only to Adya Shanker but his brother Kripa Shanker and Radhe Mohan to some extent also. They have also disputed about allotment of shares provided by D.D.C. as well as C.O. for other shares.

11. Per contra, S/Sri Manish Kumar Srivastava, Ashish Kumar and Yaman Seth, learned advocates for respondents have supported impugned orders that D.D.C. has passed a very reasoned order. Once a share of one son was protected, its consequence shall follow i.e. interest of other son has to be protected. Each issue argued was well considered and the order was passed on basis of record.

12. To support their submissions, learned counsel for rival parties have placed reliance upon judgments of this court in the case of **Shivraji Vs. Deputy Director of Consolidation of**

VERDICTUM.IN

Allahabad 1997 (88) RevDec 562, Savitri Devi Vs. IInd Addl Dist & Session Judge, Deoria 1997 (31) All LR 367, Ram Deen Koeri and others Vs. Deputy Director of Consolidation and others 2005 (99) RD 680, Surendra Pal Vs. D.D.C., Meerut 2020 3 AWC 2985, and Supreme Court in cases of **Kuppala Obul reddy Vs. Bonala Venkata Narayana Reddy (dead) through Lrs. (1984) 3 SCC 447, Amirtham Kudumbah v. Sarnam Kudumban, (1991) 3 SCC 20, Vishwambhar v. Laxminarayan, (2001) 6 SCC 163 Nangali Amma Bhavani Amma Vs. Gopalkrishnan Nair and others (2004) 8 SCC 785, Nangali Amma Bhavani Amma v. Gopalkrishnan Nair, (2004) 8 SCC 785, Ram Chandra Singh v. Savitri Devi, (2004) 12 SCC 713, Saroja v. Santhilkumar, (2011) 11 SCC 483, Murugan v. Kesava Gounder, (2019) 20 SCC 633, Jamila Begum v. Shami Mohd., (2019) 2 SCC 727.**

13. I have considered above submissions and perused the records.

14. In present case, following facts are not much under dispute :-

(a) Pedigree as mentioned in para 2 of present judgment.

(b) Shivnandan (brother of Harinandan) died in 1909 and his son Sitaram died issue less in 1919. Subsequently Harinandan died in 1923.

(c) As per revenue records (Khatauni), Revenue entry was made after Sitaram, died issue less in 1919 i.e. his share from his father Shivnandan (predeceased) probably transferred to

VERDICTUM.IN

Harinandan (uncle) died subsequently. Nature of transfer was disputed but nature of land remains ancestral.

(d) Petitioners have not brought on record any Khatauni between 1309F-1359F, i.e. till 1959.

(e) Petitioners have claimed right over respective part of disputed plots on basis of different sale deeds executed by Ramnath and Vishwanath (Sons of Harinandan) in 15.06.1955, 27.06.1955 and on 19.09.1956 as well as by sale deed executed by Radhey Mohan (son of Ramnath) on 15.06.1957 and also by Chameli (widow of Vishwanath and mother of Adya Shankar(born in 1944) and Kripa Shankar (born in 1947)), (when both were admittedly minor) on 15.04.1961 qua to therein respective shares also.

(f) Adya Shankar became major in 1962, where as Kripa Shankar became major in 1965 and for first time they made objection to sale deeds executed by their mother in respect of their respective shares in the year 1976 during consolidation proceedings, though there is a reference of a Civil Suit of year 1970, which was dismissed on 16.11.1972, though details of specific relief sought therein is not on record.

15. First issue was how share of Shivnandan, died in 1909 and his son died issue less in 1919, would devolve to Harinandan (brother of Shivnandan) or not and if the answer is yes, then it was due to inheritance being real brother or in his personal capacity as alleged by petitioners.

16. In order to answer the referred issues, the Court has to rely upon revenue record and to consider finding returned by

VERDICTUM.IN

authorities under UPCH Act. According to revenue record after 1919 (i.e. after death of Shivnandan and her sole son Sitaram, who died issue less) name of Harinandan was recorded. No substantive material was brought on record that it was recorded for any other reason than being on basis of inheritance being ancestral land. Any reference that share of deceased Shivnandan and his son Sitaram (i.e. 1/2 share) was devolved to Harinandan through their personal interest cannot be accepted, being not based on any evidence. The DDC has in impugned order has though not returned specific finding about manner of transfer but finally concluded that firstly share of Shivnandan and his son was devolved to Harinandan and definitely not in individual capacity and secondly, nature of land in dispute always remains 'ancestral' and thirdly after Harinandan, his both son namely Ramnath and Vishwanath got equal share. Above finding of DDC being based on revenue records and legal interpretations, cannot be disturbed accordingly upheld.

17. Now the second issue is that whether after death of Vishwanath, Chamela (widow of Vishwanath) had any right to make sale deed qua to share of Adya Shankar and Kripa Shankar both being minor and sons of Vishwanath and Chamela and what would be the effect, when both minor children have not taken any effective steps to challenge sale deeds, after they become major till they filed objections in consolidation proceedings.

18. It is not under dispute that Mst. Chamela had executed sale deed of share of her minor children also without any

VERDICTUM.IN

permission of Competent Authority as well as purpose of sale deed was also not for any benefit of minor children rather to repay debt taken by her late husband, therefore, there were valid reasons for Adya Shanker and Kripa Shanker to question said sale deeds when they became major, though they have not taken any effort to challenge it for many years. Nature of such sale deeds is voidable. The Revisional Authority has held that Mst. Chamela had no right to execute sale deeds of the share of her minor children since it was not for a legal necessity being not for any benefit of minor children, therefore, said sale deeds were void-ab-initio.

19. In a very recent judgment passed by the Supreme Court in the matter of **K.S. Shivappa vs. Smt. K. Neelamma, 2025 INSC 1195 : 2025 SCC Online SC 2149** wherein Supreme Court has referred various earlier judgments on the issue i.e. rights of a minor in such cases and for reference, relevant paragraph being para no. 32 is quoted below :-

> "32. In view of the above discussion, it can safely be concluded that a voidable transaction executed by the guardian of the minor can be repudiated and ignored by the minor within time on attaining majority either by instituting a suit for setting aside the voidable transaction or by repudiating the same by his unequivocal conduct."

20. In aforesaid circumstances and considering above referred undisputed facts that Adya Shanker and Kripa Shanker have not taken any steps when they became major in the year 1962 and 1965 respectively as well as have not taken any steps repudiating voidable transactions by their conduct and further

VERDICTUM.IN

a suit was also dismissed. They have lost their rights, if any, on the land which was sold by their mother.

21. The findings returned by Revisional Authority that mother of minor children had no right to make sale deed would not be sufficient, however, a further consideration was skipped from consideration that it has to be seen whether minor children have taken any step or challenged the sale deed or repudiating it by way of any conduct to set aside the voidable transactions. Therefore, findings returned by D.D.C. are not legally justified, hence, are set aside.

22. There is a reference of correction order dated 15.06.1979. Since this Court has already set aside the findings given by Deputy Director of Consolidation on above referred grounds, therefore, effect of above referred correction order would not have no legal consequence.

23. Accordingly, all writ petitions are **disposed of** with a further direction that concerned Consolidation Officer will distribute shares as per order passed by this Court.

(SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.)

April 23, 2026
<N. Sinha>